

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 15/2018 गुण्डा नियंत्रण एक्ट

अनवानी :- पवन कुमार पुत्र श्री मोहनलाल जाति अरोड़ा निवासी धनूर, तहसील श्रीकरणपुर
जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान ।

----- अपीलान्ट

--- बनाम ---

स्टेट जरिये सहायक लोक अभियोजक, बीकानेर ।

----- रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित :- श्री अनिल सिंह खीचड़ अभिभाषक अपीलान्ट ।
श्री कमलजीतसिंह सहायक लोक अभियोजक
राज्य पक्ष की ओर से ।

निर्णय


दिनांक 5.3.2019

1. यह अपील राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 6(1) के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 19.11.18 जिसके द्वारा अपीलान्ट को राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित किया जाकर जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित करने के आदेश दिये गये, के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 29.12.2017 को जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत अपीलार्थी पवन कुमार पुत्र मोहनलाल जाति अरोड़ा निवासी धनूर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर के विरुद्ध इस्तगासा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि गैरसायल अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है तथा जुआ सट्टा करने का आदी है, जिसके विरुद्ध कुल 9 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें 7 प्रकरण जुआ अधिनियम के दर्ज हुए हैं। सभी प्रकरणों में बाद अनुसंधान सक्षम न्यायालय में चालान पेश किया गया है तथा 8 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा सजायाब किया जा चुका है । इसकी आपराधिक गतिविधियां निरन्तर बढ़ रही है, जिस पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है । गैरसायल की गतिविधियों से क्षेत्र की जनता की सम्पत्ति एवं जनता की सुरक्षा को खतरा है । गैर सायल के खिलाफ लोग अपनी जान एवं सम्पत्ति के नुकसान के भय के कारण गवाही देने को तैयार नहीं है । गैर सायल गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) की श्रेणी में आता है, गैर सायल का जिले से बाहर होना जनता के हित में है।
3. उपर्युक्त इस्तगासा प्रस्तुत होने पर न्यायालय अति.जिला मजिस्ट्रेट,(नगर) श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 30.1.2018 को अपीलान्ट के निमित्त अनुसूची प्रपत्र-1 में आरोपों की सूचना देते हुए


संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जवाब स्पष्टीकरण हेतु नोटिस जारी कर दिनांक 7.3.2018 की तारीख पेशी दी गयी । उक्त तिथि पर बावजूद तामील के अपीलान्ट के उपस्थित नहीं आने पर उसे जमानती वारन्ट से तलब किया गया तथा उपस्थित नहीं आने पर जरिये गिरफ्तारी वारन्ट से तलब किया जाने पर दिनांक 22.10.18 को उपस्थित होकर जरिये अभिभाषक जवाब हेतु अवसर चाहा गया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा दिनांक 19.11.18 तक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर द्वारा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये इस्तगासा, रपट रोजनामचा, इस्तगासा धारा 110सीआरपीसी एवं उस पर पारित आदेश दिनांक 30.11.17 तथा सक्षम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्रतियों के आधार पर आदेश दिनांक 19.11.2018 पारित कर अपीलान्ट के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण एक्ट की धारा 3 की उप धारा 1 के खण्ड (क)(ख) और (ग) में विरचित तीनों आरोप सिद्ध मानते हुए धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित कर अपीलान्ट को जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित करने तथा थानाधिकारी पुलिस थाना लूणकरनसर जिला बीकानेर में रिपोर्ट प्रस्तुत करने व मुख्यालय लूणकरनसर में रहने के आदेश दिये । न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर के उक्त आदेश दिनांक 19.11.18 के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

4. उक्त अपील प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त किया गया । प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।
5. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि थानाधिकारी, पुलिस थाना केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट के जुआ अधिनियम के अन्तर्गत 7 मुकदमें रंजिस वश झूठे दर्ज किये गये थे, जिनमें प्रार्थी द्वारा लोक अदालत की प्रेरणा से निस्तारण करवाया है तथा प्रार्थी पर जुर्माना लगाया है । यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ना तो परिवादी के एवम् ना ही अभियोजन पक्ष के बयान हुए हैं । जबकि परिवाद अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर था । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिसमें प्रार्थी अपीलान्ट से किसी व्यक्ति को भय हो व किसी को अपीलान्ट से अपनी सुरक्षा का खतरा हो । अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर केन्द्रित होकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2ख (v) की श्रेणी में नहीं आता है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकर फरमाई जाकर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(नगर) श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.11.2018 निरस्त फरमाया जावे ।
6. प्रकरण में राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट के विरुद्ध इस्तगासा के अनुसार कुल 9 प्रकरण दर्ज हुए, जिसमें 7 प्रकरण धारा 13 आरपीजीओ. के अन्तर्गत दर्ज हुए हैं व 2 प्रकरण भा0दण्ड संहिता के अपराध हैं ।


 जिला मजिस्ट्रेट
 बीकानेर

अपीलान्त को कुल 8 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा सजायाब किया गया है । प्रकरण में धारा 3(1) की उप धारा "क" "ख" "ग" में विनिर्दिष्ट स्थितियों को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य रपट रोजनामचा दिनांक 26.11.17 प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार अपीलान्त अपीलान्त सट्टा खाइवाली का आदि है तथा अपराधिक प्रवृत्ति का है । अपीलान्त आम लोगों को थाने में सूचना देने से धमकाता है । गांव के लोग अपीलान्त के कृत्य से अपनी जान एवं सम्पत्ति के नुकसान से भयभीत होने के कारण लोग इसके विरुद्ध गवाही देने से डरते हैं । अपीलान्त गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) की श्रेणी में आता है । अतः अपील अपीलान्त निरस्त फरमाई जावे ।

7. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा दिनांक 29.12.17 के अनुसार अपीलार्थी के विरुद्ध जुआ अधिनियम एवं आईपीसी के अन्तर्गत निम्नलिखित 9 मुकदमे दर्ज होकर बाद अनुसन्धान न्यायालय में चालान पेश होने पर सक्षम न्यायालय द्वारा 8 मुकदमों में सजायाब किया गया है :-


क्र.सं.	मु.नं. व दिनांक	धारा	न्यायालय निर्णय दिनांक	नतीजा
1	173/29.7.04	13 आरपीजीओ	4.8.04	सजा
2	99/15.6.07	13 आरपीजीओ	30.6.07	सजा
3	45/11.3.08	13 आरपीजीओ	16.3.08	सजा
4	14/2.1.09	13आरपीजीओ	6.6.16	सजा
5	139/22.7.09	332,353आईपीसी	4.5.17	सजा
6	26/7.2.12	13आरपीजीओ	16.2.12	सजा
7	238/22.7.14	13आरपीजीओ	8.8.14	सजा
8	240/17.10.16	13आरपीजीओ	2.12.16	सजा

8. राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासन हेतु निम्नलिखित तीन शर्तों का होना आवश्यक है :-
9. क- वह व्यक्ति गुण्डा हो ।
- ख- (i) उसकी गतिविधियों से जिले/किसी भाग में व्यक्तियों की सम्पत्ति को खतरा उत्पन्न कराने या नुकसान कराने वाली है ।
- (ii) वह व्यक्ति धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) से (vi) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध या कृत्य के करने या उसके लिए दुष्प्रेरित करने में लगा हुआ है ।
- ग- साक्षीगण अपने शरीर या सम्पत्ति की सुरक्षा के सम्बन्ध में आशंकित होने के कारण उसके विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए आगे आने के इच्छुक नहीं है ।
10. राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2-ख (v) अनुसार राजस्थान जुआ अधिनियम के अधीन कम से कम दो बार दोष सिद्ध होने पर वह गुण्डा की श्रेणी में आता है । अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 13 आरपीजीओ के अन्तर्गत कुल 7 मुकदमे दर्ज हुए तथा सभी प्रकरणों में न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सजायाब किया गया है । इसके अलावा अपीलान्त के विरुद्ध एक फौजदारी प्रकरण सं0 139/22.7.09 दर्ज हुआ है, जिसमें न्यायालय द्वारा


समाजीय आयुक्त
बीकानेर

दिनांक 4.5.17 को निर्णय पारित अपीलान्त को सजायाब किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी धारा 2 ख (v) अनुसार गुण्डा की परिभाषा में आता है। प्रकरण में नकल रपट रोजनामचा आम दिनांक 26.11.17 के अनुसार अपीलान्त चोरी छिपे जुआ सट्टा की खाईवाली करता है, जिनके खिलाफ पूर्व में भी सट्टा, जुआ व मारपीट के मुकदमे दर्ज है। अपीलान्त आम लोगों को थाने में सूचना देने से धमकाता है। गांव के लोग अपीलान्त के कृत्य से अपनी जान एवं सम्पत्ति के नुकसान से भयभीत है तथा लोग इसके विरुद्ध गवाही देने से डरते हैं। अपीलान्त को धारा 110 सीआरपीसी के अन्तर्गत पुलिस द्वारा प्रस्तुत किये गये इस्तगासे पर न्यायालय द्वारा अपीलान्त को 6 माह के लिए नेकचलनी हेतु भी पाबन्द किया गया है।

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलान्त गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 ख की उप धारा (v) के अन्तर्गत गुण्डे की परिभाषा में आता है। रपट रोजनामचा आम दिनांक 26.11.17 के अनुसार अपीलार्थी जुआ सट्टे का आदि है एवम् अपराधिक प्रवृत्ति का है, इसके विरुद्ध फौजदारी मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनमें एक मुकदमे में अपीलान्त को सजायाब किया गया है। अपीलान्त आम लोगों को थाने में सूचना देने से धमकाता है। गांव के लोग अपीलान्त के कृत्य से अपनी जान एवं सम्पत्ति के नुकसान से भयभीत होने के कारण लोग इसके विरुद्ध गवाही देने से डरते हैं। अपीलान्त के भय से आमजन की सम्पत्ति को खतरा एवं संत्रास है। इस प्रकार अपीलान्त के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उप धारा (1) के खण्ड "क" "ख" "ग" में विनिर्दिष्ट तीनों शर्तें पूरी होने से न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलान्त को 6 माह की अवधि के लिए जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से निष्कासित करते हुए निष्कासित अवधि में जिला बीकानेर में थानाधिकारी, पुलिस थाना लूणकरनसर जिला बीकानेर को रिपोर्ट दिये जाने के आदेश दिये गये हैं, उसमें हम किसी भी प्रकार से परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः निष्कासन की सजा एवम् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) श्रीगंगानगर का अपीलार्थीन आदेश दिनांक 19.11.18 को यथावत रखते हुए अपील अपीलान्त खारिज की जाती है।
12. तदनुसार अपील अपीलान्त निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति सहित लौटाया जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 5.3.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर